"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 272] रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 अक्टूबर 2002—कार्तिक 6, शक 1924

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2002

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 2002

क्रमांक 6776/5414/21-ब/छग/2002.—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का सं. 39) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से छत्तीसगढ़ सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ**—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 2002 है.
(2) ये ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे.

2. **परिभाषाएं**—

इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है-विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का सं. 39).

(ख) ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है राज्य प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष या यथास्थिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष या जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष या यथास्थिति, तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष.

(ग) ''जिला प्राधिकरण'' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण.

(घ) ''उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति'' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 8 (क) के अधीन गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति.

(ङ) ''विधि व्यवसायी'' का वही अर्थ होगा जो उसके लिए अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का सं. 25) में दिया गया है.

(च) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन नाम-निर्दिष्ट राज्य प्राधिकरण का सदस्य या यथास्थिति, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन नाम-निर्दिष्ट जिला प्राधिकरण का सदस्य.

(छ) ''सचिव'' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 6 के अधीन गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का सदस्य सचिव या यथास्थिति धारा 8 (क) के अधीन गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का सचिव या यथास्थिति धारा 9 के अधीन गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सचिव.

(ज) ''धारा'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा.

(झ) ''राज्य प्राधिकरण'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 6 के अधीन गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण.

(ञ) ''तालुक विधिक सेवा समिति'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 11-क के अधीन गठित तालुक विधिक सेवा प्राधिकरण.

(ट) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित न किए गए अन्य समस्त शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो कि उन्हें अधिनियम में क्रमश: दिए गए हैं.

3. **धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन राज्य प्राधिकरण के अन्य सदस्यों की संख्या, अनुभव तथा अर्हताएं—**

(1) राज्य प्राधिकरण में बीस से अनधिक सदस्य होंगे.

(2) राज्य प्राधिकरण के पदेन सदस्य निम्नलिखित होंगे :—

(क) राज्य का महाधिवक्ता,

(ख) मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,

(ग) वित्त विभाग का प्रभारी सचिव,

(घ) गृह विभाग का प्रभारी सचिव,

(ङ) विधि और विधायी कार्य विभाग का प्रभारी सचिव,

(च) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार जनरल,

(छ) छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग और छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति का अध्यक्ष,

(ज) छत्तीसगढ़ राज्य विधिक परिषद् का अध्यक्ष,

(झ) पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़,

(ञ) अभियोजन निर्देशक,

(ट) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय विधिक परिषद् बिलासपुर का अध्यक्ष,

(ठ) जिला प्राधिकरण के दो सभापति जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जाएं.

(ड) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का सदस्य सचिव.

(3) राज्य सरकार इस नियम के उपनियम (4) में विहित अनुभव तथा अर्हताएं रखने वाले सदस्यों में से अन्य तीन सदस्यों को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से नाम-निर्दिष्ट कर सकेगी. उनमें से कम से कम एक महिला होगी.

(4) कोई भी व्यक्ति राज्य प्राधिकरण का सदस्य नाम-निर्दिष्ट किए जाने के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह :—

(क) ऐसा सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्ता न हो, जो अनुसूचित जातियों, महिलाओं, बालकों, ग्रामीण तथा नगरीय श्रमिकों को सम्मिलित करते हुए या जनता के कमजोर वर्गों के उन्नयन में लगा हुआ है, या

(ख) विधि के क्षेत्र में सुप्रसिद्ध व्यक्ति न हो, या

(ग) ऐसा ख्यात व्यक्ति, जो कि विधिक सेवा स्कीम के क्रियान्वयन में विशेष रूप से रुचित न रखता हो.

4. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक, कार्यकारी अध्यक्ष और उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष हेतु विशेष उपबंध—

(1) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक, कार्यकारी अध्यक्ष यदि वे उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश हों और उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष, यथास्थिति राज्य प्राधिकरण अथवा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के कार्य के संबंध में की गयी यात्राओं के लिए यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते के भुगतान के हकदार होंगे और यथास्थिति उक्त प्राधिकरण या समिति द्वारा हाईकोर्ट जज (ट्रेव्हलिंग एलाउन्सेज) रूल्स, 1956 के उपबंधों के अनुसार संदत्त किए जाएंगे.

(2) कार्यकारी अध्यक्ष यदि वे सेवानिवृत्त न्यायाधीश हों, राज्य प्राधिकरण द्वारा एक स्टाफ कार तथा एक चालक दिया जाएगा तथा कार चालक के वेतन तथा भत्ते के साथ ही कार के रख-रखाव एवं मरम्मत के मद्दे व्यय उक्त प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाएगा.

(3) उपनियम (2) के अधीन उपलब्ध करायी गयी कार के लिए पेट्रोल के उपभोग की सीमा 100 लीटर प्रतिमाह या वास्तविक उपभोग जो भी कम हो, होगी.

(4) राज्य विधिक सेवा के प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक, कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा अध्यक्ष उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति प्रत्येक को, एस.टी.डी. सुविधा सहित टेलीफोन रुपए 24000/- वार्षिक अधिकतम व्यय सीमा सहित उपलब्ध करायी जाएगी.

5. कार्यकारी अध्यक्ष की पदावधि—

(क) राज्य प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष जब उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश हो, सामान्यतया तीन वर्ष की कालावधि या अपनी सेवानिवृत्ति जो भी कम हो पद धारण करेगा परन्तु वह सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुन: नाम-निर्दिष्ट किया जा सकेगा.

(ख) राज्य प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष यदि उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, तो सामान्यतया वह तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेगा परन्तु वह एक और अवधि के लिए पुन: नाम-निर्दिष्ट किया जा सकेगा.

6. कार्यकारी अध्यक्ष की सेवा शर्तें उस दशा में जबकि वह उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश है—

जहां राज्य प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश है या अपनी पदावधि के दौरान राज्य प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष हो वहां—

(एक) उसकी निबंधन तथा शर्तें ऐसी होंगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग सी.एम. क्रमांक 19048/7/80 ई. चार, दिनांक 8 अक्टूबर 1987 में या ऐसे अन्य सुसंगत आदेशों में विनिर्दिष्ट है जो कि आयोगों/समितियों के नियुक्त उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को लागू है.

(दो) उसे अभिदायी भविष्य निधि में अभिदाय करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा.

7. धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन राज्य प्राधिकरण के सदस्य सचिव की शक्तियां तथा कृत्य—

राज्य प्राधिकरण के सदस्य सचिव की शक्तियां तथा कृत्य अन्य बातों के साथ निम्नानुसार होंगे :—

(क) पात्र तथा कमजोर वर्गों को नि:शुल्क विधिक सेवा देना,

(ख) राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित विधिक सेवा स्कीमों तथा कार्यक्रमों का रूपांकन तैयार करना तथा उनको प्रभावी ढंग से मानिटर किया जाना तथा कार्यान्वयन सुनिश्चित करना,

(ग) राज्य सरकार में विभागाध्यक्ष के रूप में प्रशासकीय गृह व्यवस्था, वित्त तथा बजट विषयों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करना,

(घ) राज्य प्राधिकरण की सम्पत्तियों, अभिलेख तथा निधियों का प्रबंध करना,

(ङ) राज्य प्राधिकरण के सही तथा उचित लेखे रखना जिनमें उसके संबंध में नियतकालिक जांच-पड़ताल तथा संपरीक्षा शामिल है,

(च) उक्त प्राधिकरण का वार्षिक आय तथा व्यय लेखा तथा संतुलन पत्र तैयार करना,

(छ) सामाजिक कार्य समूहों और जिला तथा तालुक/तहसील/उपखंडीय विधिक सेवा प्राधिकरणों से संपर्क करना,

(ज) विभिन्न विधिक सेवा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में समय-समय पर की गई प्रगति को सम्मिलित करते हुए आज दिनांक तथा संपूर्ण सांख्यिकी जानकारी रखना,

(झ) वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव तैयार करना और उसका उपयोग प्रमाण-पत्र जारी करना,

(ञ) राज्य प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित विभिन्न विधिक सेवा कार्यक्रमों को आयोजित करना तथा विधिक सेवा कार्यक्रमों से संबंधित बैठकें/सेमीनार तथा कार्य शिविर बुलाना और रिपोर्ट तैयार करना तथा उसका अनुवर्ती कार्य करना,

(ट) विधिक सेवा कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं के बारे में जनसाधारण को जानकारी देने के लिए वीडियो, वृत्तचित्र, प्रचार सामग्री बनाना या तैयार करना,

(ठ) ग्रामीण विवादों को सुलझाने पर जोर देना तथा ग्रामीणजनों की देहरी पर ही ग्रामीण विवादों को निपटाने के लिए प्रभावी तथा अर्थपूर्ण विधिक सेवा के लिए स्कीम तैयार करने हेतु अतिरिक्त उपाय करना,

(ड) ऐसे कृत्यों का पालन करना जो अधिनियम की धारा 4 के खण्ड (ख) के अधीन बनाये गए स्कीमों के अधीन उसे समनुदेशित किए गए हों, और

(ढ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो राज्य प्राधिकरण के प्रभावी कार्यकरण के लिए समीचीन है.

8. धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन राज्य प्राधिकरण के सदस्यों तथा सदस्य सचिव की पदावधि और उससे संबंधित अन्य शर्तें—

(1) राज्य सरकार द्वारा नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन नाम-निर्दिष्ट किए गए राज्य प्राधिकरण के सदस्य दो वर्ष की अवधि तक बने रहेंगे तथा पुन: नाम-निर्दिष्ट किए जाने के लिए पात्र होंगे,

(2) राज्य प्राधिकरण का कोई सदस्य जो नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन नाम-निर्दिष्ट किया गया है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा हटाया जा सकेगा, यदि राज्य सरकार की राय में सदस्य के रूप में बना रहना वांछनीय नहीं है,

(3) यदि ऐसा कोई सदस्य जो नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन नाम-निर्दिष्ट किया गया है, किसी कारण से राज्य प्राधिकरण का सदस्य न रहे तो रिक्ति की पूर्ति मूल नाम-निर्देशन के अनुसार की जाएगी और इस प्रकार निर्दिष्ट व्यक्ति, उस व्यक्ति की जिसके कि स्थान पर उसे नाम-निर्दिष्ट किया गया है, शेष अवधि के लिए सदस्य के रूप में बना रहेगा,

(4) ऐसे समस्त सदस्य जो नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन नाम-निर्दिष्ट किए गए हैं, राज्य प्राधिकरण के कार्य के संबंध में की गयी यात्राओं के लिए यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ते का भुगतान किए जाने के हकदार होंगे तथा राज्य प्राधिकारण द्वारा उन्हें समय-समय पर संशोधित उन नियमों के अनुसार भुगतान किया जाएगा जो कि ग्रेड-1 अधिकारियों को लागू होते हैं.

(5) यदि नाम-निर्दिष्ट सदस्य शासकीय सेवक है तो वह या तो अपने पैतृक विभाग से अथवा यथास्थिति राज्य प्राधिकरण से सिर्फ एक मद से यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता का हकदार होगा,

(6) राज्य प्राधिकरण का सदस्य सचिव पूर्णकालिक कर्मचारी होगा तथा सामान्यतया प्रतिनियुक्ति पर तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेगा,

(7) सेवानिवृत्ति की आयु, वेतन तथा भत्ते, प्रसुविधाएं तथा हकदारी और अनुशासनिक विषयों जैसे सेवा शर्तों से संबंधित समस्त विषयों में सदस्य सचिव राज्य सरकार के नियमों द्वारा शासित होंगे तथा वह राज्य प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर होगा. वह उस विशेष वेतन का हकदार होगा जैसा कि राज्य सरकार के अधीन उस वर्ग के लिए प्रतिनियुक्ति पर लागू हैं.

9. प्राधिकारण के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या—

धारा 6 की उपधारा (5) के अधीन राज्य प्राधिकरण में सचिवीय सहायता देने के लिए तथा उसके दिन-प्रतिदिन के कृत्यों के लिए उतनी संख्या में अधिकारी व अन्य कर्मचारी होंगे जैसा कि इन नियमों की अनुसूची-क में विनिर्दिष्ट हैं.

10. धारा 6 की उपधारा (6) के अधीन राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवा शर्तें और वेतन तथा भत्ते—

(1) राज्य प्राधिकरण के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी इन नियमों की अनुसूची-क में प्रत्येक पद के सामने दर्शाए गए वेतनमान में वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे.

(2) सेवानिवृत्ति की आयु, वेतन तथा भत्ते, प्रसुविधाएं तथा हकदारी और अनुशासनिक विषयों जैसे समस्त विषयों में राज्य प्राधिकरण के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी उन नियमों से शासित होंगे जो इन नियमों के नियम 23 के अधीन बनाए गए हैं.

11. धारा 8-क की उपधारा (3) के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव का अनुभव तथा अर्हताएं—

कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का सचिव नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह उच्च

न्यायालय का ऐसा अधिकारी न हो जो छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य रहते हुए अतिरिक्त रजिस्ट्रार से निम्न श्रेणी का न हो.

12. धारा 8 (क) की उपधारा (5) के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या और उस धारा की उपधारा (6) के अधीन उन्हें भुगतान किए जाने वाला वेतन तथा भत्ता.

(1) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिवीय सहायता देने के लिए तथा उसके दिन-प्रतिदिन के कृत्यों के लिए उतनी संख्या में अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी होंगे जैसा कि उक्त नियमों की अनुसूची-ख में विनिर्दिष्ट हैं,

(2) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारी और कर्मचारी इन नियमों की अनुसूची-ख में प्रत्येक पद के सामने दर्शाए गए वेतनमान में अथवा मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियत किए गए अनुसार वेतन तथा भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे,

(3) सेवानिवृत्ति की आयु, वेतन भत्ते, प्रसुविधाएं तथा हकदारी और अनुशासनिक विधियों जैसे विषयों में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी उन सेवा नियमों से शासित होंगे जैसा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय/राज्य सरकार, यथा स्थिति में समतुल्य पद धारण करने वालों को लागू होते हैं.

13. धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन जिला प्राधिकरण के सदस्यों की संख्या, अनुभव तथा अर्हताएं—

(1) जिला प्राधिकारण में आठ सदस्यों से अनधिक सदस्य होंगे,

(2) निम्नलिखित जिला प्राधिकरण के पदेन सदस्य होंगे,

(एक) जिला मजिस्ट्रेट,

(दो) जिला पुलिस अधीक्षक,

(तीन) जिले का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, और

(चार) जिला शासकीय अभिभाषक.

(3) राज्य सरकार, मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उन व्यक्तियों में से जो उपनियम (4) में विहित अर्हताएं तथा अनुभव रखते हों, अन्य सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट कर सकेगी,

(4) कोई भी व्यक्ति जिला प्राधिकरण का सदस्य नाम-निर्दिष्ट किए जाने के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह,—

(क) ऐसा विख्यात सामाजिक कार्यकर्त्ता न हो, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, बालकों तथा ग्रामीण श्रमिकों को सम्मिलित करते हुए कमजोर वर्गों की समुन्नति में लगा हुआ है, अथवा

(ख) विधि के क्षेत्र में विख्यात न हो, अथवा

(ग) ऐसा सुप्रसिद्ध व्यक्ति न हो, जो विधिक सेवा स्कीमों के कार्यान्वयन में विशेष रुचि रखता है.

14. धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन जिला प्राधिकरण के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या—

जिला प्राधिकरण में सचिवीय सहायता देने के लिए तथा उसके दिन-प्रतिदिन के कृत्यों के लिए उतनी संख्या में अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी होंगे जो इन नियमों की अनुसूची-ग में विनिर्दिष्ट हैं.

15. धारा 9 की उपधारा (6) के अधीन जिला प्राधिकरण के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें, वेतन तथा भत्ते—

(1) जिला प्राधिकरण के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी इन नियमों की अनुसूची-ग में प्रत्येक पद के सामने दर्शाए वेतनमान में वेतन तथा भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे,

(2) सेवानिवृत्ति की आयु, प्रसुविधाएं व हकदारी तथा अनुशासनिक विषयों जैसे समस्त विषयों में जिला प्राधिकरण के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी उन नियमों से शासित होंगे जो अधीनस्थ न्यायालयों के अनसचिवीय कर्मचारियों को लागू होते हैं.

16. धारा 11 (क) की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन तालुक विधि सेवा समिति के सदस्यों की संख्या, अनुभव तथा अर्हताएं—

(1) तालुक विधिक सेवा समिति में पांच सदस्यों से अनधिक सदस्य होंगे,

(2) निम्नलिखित तालुक विधिक सेवा के पदेन सदस्य होंगे :—

(एक) सब कलेक्टर

(दो) उपखण्डीय पुलिस अधिकारी

(तीन) स्थानीय बार एसोसियेशन का अध्यक्ष

(3) राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उन व्यक्तियों में से जो उपनियम (4) में विहित अर्हताएं तथा अनुभव के नाम-निर्दिष्ट कर सकेगी,

(4) कोई भी व्यक्ति तालुक विधिक सेवा समिति का सदस्य नाम-निर्दिष्ट किए जाने के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह:—

(क) ऐसा विख्यात कार्यकर्त्ता न हो जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, बालकों तथा ग्रामीण श्रमिकों को सम्मिलित करते हुए कमजोर वर्गों के व्यक्तियों की समुन्नति में लगा हुआ है, या

(ख) विधि के क्षेत्र में विख्यात व्यक्ति न हो, या

(ग) ऐसा ख्याति प्राप्त व्यक्ति न हो जो विधिक सेवा स्कीमों के कार्यान्वयन में विशेष रुचि र[illegible] है.

17. धारा 11 (क) की उपधारा (3) के अधीन तालुक विधिक सेवा समिति के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या—

तालुक विधिक सेवा समिति में सचिवीय सहायता तथा उसके दिन-प्रतिदिन के कृत्यों के लिए उतनी संख्या में अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी होंगे जैसा कि इन नियमों की अनुसूची-घ में विनिर्दिष्ट है.

18. धारा 11 (क) की उपधारा (4) के अधीन तालुक विधिक सेवा समिति के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें और वेतन तथा भत्ते—

(1) तालुक विधिक सेवा समिति के अधिकारी तथा अन्य अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी इन नियमों की अनुसूची-घ में प्रत्येक पद के सामने दर्शाए गए वेतनमान में वेतन तथा भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे.

(2) सेवानिवृत्ति की आयु, वेतन तथा भत्ते, अन्य प्रसुविधाएं एवं हकदारी और अनुशासनिक विषयों जैसे सेवा शर्तों से संबंधित समस्त विषयों में उन सेवा नियमों से शासित होंगे जैसा कि अधीनस्थ न्यायालयों के अनुसचिवीय कर्मचारियों को लागू होते हैं.

19. यदि मामला उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष है तो धारा 12 के खण्ड (ज) के किसी व्यक्ति के विधिक सेवा के हकदार बनाने हेतु वार्षिक आय की उच्च सीमा—

भारत का कोई नागरिक जिसकी समस्त स्त्रोतों से आय रुपये 25000/- (रुपये पच्चीस हजार) से अधिक न हो, धारा 12 के खण्ड (ज) के अधीन विधिक सेवा के लिए हकदार होगा.

20. धारा 19 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न लोक अदालतों के व्यक्तियों का अनुभव तथा विशेषताएं—

कोई भी व्यक्ति लोक अदालत की न्यायपीठ (बेंच) में सम्मिलित किए जाने के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह,

(क) ऐसा विख्यात सामाजिक कार्यकर्त्ता न हो, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, बालकों तथा ग्रामीण श्रमिकों को सम्मिलित करते हुए कमजोर वर्गों के व्यक्तियों की समुन्नति में लगा हुआ है, या

(ख) प्रतिष्ठित वकील न हो, या

(ग) ऐसा सुप्रसिद्ध व्यक्ति न हो जो विधिक सेवा स्कीमों तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में रुचि रखता हो.

21. विषय जिनमें विधि सेवा अनुज्ञेय है—

अधिनियम की धारा 13 के साथ पठित धारा 12 के अधीन आने वाले मामलों के अतिरिक्त विधिक सेवा ऐसे सभी मामले में उपलब्ध करायी जाएगी जहां ऐसी सेवा का उद्देश्य :—

(क) विवाद के पक्षकारों के बीच सुलह द्वारा विवाद का सौहार्द्पूर्ण समझौता करवाना हो, और

(ख) साधारण जनता या उसके किसी भाग के लिए केन्द्रीय सरकार या छत्तीसगढ़ शासन या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण की ओर से या द्वारा प्रयोजित विभिन्न योजनाओं के अधीन लाभ उठाने के उद्देश्य से विभिन्न विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन करने में सहायता करना हो.

22. विधि सेवा उपलब्ध कराने के तरीके—

विधिक सेवा निम्नलिखित समस्त या उनमें से कोई एक या अधिक तरीकों से दी जा सकेगी, अर्थात् :—

(क) कोर्ट फीस, आदेशिका फीस, साक्षियों तथा पेपर बुक के व्यय, वकील फीस और विधिक कार्यवाहियों के संबंध में देय अन्य समस्त प्रभार,

(ख) विधिक कार्यवाहियों में विधिक व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व के माध्यम से,

(ग) विधिक कार्यवाहियों में निर्णयों, आदेशों, साक्ष्य की टिप्पणियों तथा अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों के प्रदाय द्वारा,

(घ) विधिक कार्यवाहियों में पेपर बुक तैयार करना जिसमें दस्तावेजों का मुद्रण, टंकण तथा अनुवाद सम्मिलित है,

(ङ) विधिक दस्तावेजों के प्रारुपण द्वारा, तथा

(च) किसी विधिक मामले में विधिक सलाह देकर.

23. राज्य प्राधिकरण का मुख्यालय तथा कार्यालय—

राज्य प्राधिकरण का मुख्यालय तथा कार्यालय विलासपुर में उपस्थित होगा जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का मुख्य स्थान है.

24. विधिक सहायता कार्यक्रमों को चलाए जाने के संबंध में उत्पन्न कठिनाइयों का निराकरण—

मुख्य संरक्षक विधिक सहायता कार्यक्रमों के प्रकरणों के विषय में विधिक सहायता जो पूर्व से ही प्रदान की जा रही है और विधिक सहायता कार्यक्रम जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन के पूर्व ही नियोजित किए जा चुके हैं, व्यय प्राधिकृत तथा अनुमोदित कर सकेगा.

25. अधिकारियों/कर्मचारियों की भर्ती तथा नियुक्ति की रीति—

(क) कार्यकारी अध्यक्ष ऐसी रीति से राज्य सरकार द्वारा अवधारित अनुमोदन के विषय में, मुख्य संरक्षक से परामर्श के पश्चात् कर सकेगा.

(ख) कार्यकारी अध्यक्ष, मुख्य संरक्षक से परामर्श के पश्चात् प्राधिकरण के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का स्थानान्तरण और पदस्थापना करेगा.

26. निरसन तथा व्यावृत्ति—

छत्तीसगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1996, एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं परन्तु इस प्रकार निरसित किन्हीं भी नियमों के अधीन की गई किसी बात या किसी कार्यवाही के बारे में जब तक ऐसी कोई बात या कार्यवाही इन नियमों के किन्हीं उपबंधों से असंगत न हो, यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराधा खरे, उप-सचिव.

अनुसूची-क
(नियम 9 देखिए)

क. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

क्र. (1)	पद का नाम (2)	वेतनमान (3)	पदों की संख्या (4)	टिप्पणी (5)
1.	सचिव जिला न्यायाधीश संवर्ग में छत्तीसगढ़ उच्चतम न्यायिक सेवा से.	स्वयं के वेतनमान	01	
2.	उप-सचिव न्यायिक दंडाधिकारी संवर्ग में छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा से.	स्वयं के वेतनमान	01	
3.	अवर सचिव व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 संवर्ग में छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा से.	स्वयं के वेतनमान	01	
4.	लेखाधिकारी	8000-13500	01	
5.	कार्यपालक अध्यक्ष के निज सचिव	6500-10500	01	
6.	विधिक सहायता अधिकारी	6500-10500	17	
7.	लेखा निरीक्षक	6500-10500	01	
8.	अधीक्षक	5500-9000	01	
9.	निजी सहायक या सचिव का शीघ्रलेखक	4500-7000	01	
10.	सहायक लेखा परीक्षक	4500-7000	01	
11.	लेखापाल	4000-6000	01	
12.	सहायक प्रोटोकाल अधिकारी	4000-6000	01	
13.	सहायक ग्रेड-2	4000-6000	04	
14.	सहायक ग्रेड-3	3050-4590	15	
15.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	3050-4590	02	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16.	वाहन चालक	3050-4590	02	
17.	दफ्तरी	2010-3540	01	
18.	भृत्य	2550-3200	12	
19.	फर्राश	2550-3200	01	
20.	वाटरमैन	2550-3200	01	
21.	चौकीदार	2550-3200	01	
22.	स्वीपर	2550-3200	01	
23.	प्रोसेस सर्वर	2550-3200	06	

अनुसूची–ख
(नियम 11 देखिए)

ख. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति

क्र. (1)	पद का नाम (2)	वेतनमान (3)	पदों की संख्या (4)	टिप्पणी (5)
1.	सचिव (पदेन) छत्तीसगढ़ उच्चतम न्यायिक सेवा का सदस्य जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अतिरिक्त रजिस्ट्रार की पद श्रेणी से निम्न न हो, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाएगा.		01	
2.	शीघ्रलेखक	5000-8000	01	
3.	लेखापाल (प्रशिक्षित)	4500-7000	01	
4.	सहायक ग्रेड-2	4000-6000	01	
5.	सहायक ग्रेड-3	3050-4590	06	
6.	भृत्य	2550-3200	04	
7.	प्रोसेस सर्वर	2550-3200	05	

अनुसूची-ग
(नियम 19 देखिए)

ग. जिला विधिक सेवा समिति

क्र. (1)	पद का नाम (2)	वेतनमान (3)	पदों की संख्या (4)	टिप्पणी (5)
1.	सचिव (पदेन) छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा में कार्यरत अधिकारी में से कोई एक अधिकारी जो राज्य प्राधिकारी द्वारा जिला प्राधिकारी के अध्यक्ष से परामर्श के पश्चात् नियुक्त किया जाएगा.		01	
2.	सहायक ग्रेड-2	4000-6000	10	
3.	सहायक ग्रेड-3	3050-4590	14	
4.	प्रोसेस सर्वर	2250-3200 + 75 अतिरिक्त भत्ता	14	
5.	भृत्य	2550-3200	07	

अनुसूची-घ
(नियम 16 देखिए)

घ. तालुक विधिक सेवा समिति

क्र.	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सहायक ग्रेड-3	3050-4590	31	
2.	भृत्य	2550-3200	31	

रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2002

क्रमांक 6776/5414/21-ब/छग/2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, "छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 2002" का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराधा खरे, उप-सचिव.

Raipur, the 26th October 2002

NOTIFICATION

CHHATTISGARH STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY RULES, 2002

No.6776/5414/21-B/C.G./2002.—In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987), and in consultation with the Chief Justice of the Chhattisgarh High Court, the Government of Chhattisgarh makes the following rules, namely :—

RULES

1. Short title and Commencement—

(1) These rules may be called "The Chhattisgarh State Legal Services Authority Rules, 2002".
(2) They shall come into force on the date, as the State Government may by notification appoint.

2. Definitions—

In these Rules unless the context otherwise requires.

(a) "Act" means the Legal Services Authority Act, 1987 (No. 39 of 1987).
(b) "Chairman" means the Executive Chairman of the State Authority or, as the case may be, Chairman, High Court Legal Services Committee or the Chairman of the District Authority or the Chairman of the Taluk Legal Services Committee.
(c) "District Authority" means a District Legal Services Authority constituted under Section 9 of the Act.
(d) "High Court Legal Services Committee" means the High Court Legal Services Committee constituted under Section 8-A of the Act.
(e) "Legal Practitioner" shall have the same meaning as assigned to it in the Advocate Act, 1961 (No. 25 of 1961).
(f) "Member" means a member of the State Authority nominated under clause (C) of sub-section (2) of Section 6 or, as the case may be a member of the District Authority nominated under clause (b) of sub-section (2) of Section 9 of the Act.
(g) "Secretary" means the Member-Secretary of the State Legal Services Authority constituted under Section 6, or, as the case may be, the Secretary of the High Court Legal Services Committee constituted under Section 8-A, or, as the case may be, the Secretary of District Legal Services Authority constituted under Section 9 of the Act.
(h) "Section" means a section of the Act.
(i) "State Authority" means the State Legal Services Authority constituted under Section 6 of the Act.
(j) "Taluk Legal Services Committee" means a Taluk Legal Services Committee constituted under Section 11-A of the Act.

(k) All other words and expressions used in these Rules but not defined shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. The number, experience and qualifications of other members of the State Authority under clause (c) of Sub-section (2) of Section 6—

(1) The State Authority shall have not more then twenty members.

(2) The following shall be the ex-officio members of the State Authority :—

(a) Advocate General of the State.
(b) The Chief Secretary, Government of Chhattisgarh.
(c) The Secretary in-charge of the Department of Finance.
(d) The Secretary in-charge of the Department of Home.
(e) The Secretary in charge of the Department of Law & Legislative Affairs.
(f) The Registrar General of C. G. High Court.
(g) Chairman of Chhattisgarh Rajya Anusuchit Janjati Ayog and Chhattisgarh Rajya Anusuchit Jati Ayog.
(h) Chairman, State Bar Council of Chhattisgarh.
(i) Director General of Police, Chhattisgarh.
(j) Director of Prosecution.
(k) President, Chhattisgarh High Court Bar Association, Bilaspur; and
(l) Two Chairmen of the District Authority as may be nominated by the State Government in consultation with the Chief Justice of Chhattisgarh High Court.
(m) Member Secretary of the Authority appointed under sub-section (3) of Section 6 of the Act.

(3) The State Government may nominate, in consultation with the Chief Justice of the High Court, other members from amongst those possessing the experience and qualifications prescribed in sub-rule (4) of this rule, at least one of whom shall be a woman.

(4) A person shall not be qualified for nomination as a member of the State Authority, unless he/she is : —

(a) an eminent Social worker who is engaged in the upliftment of the weaker sections of the people, including Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Women, Children, rural and urban labourers.
(b) an eminent person in the field of law, or
(c) a person of repute who is specially interested in the implementation of the Legal Services Schemes.

4. Special Provisions for the Patron-in-Chief Executive Chairman of the State Legal Services Authority and Chairman, High Court Legal Services Committee—

(1). The Patron-in-Chief, Executive Chairman in case he is a sitting Judge of the High Court and the Chairman, High Court, Legal Services Committee shall be entitled to payment of travelling allowances and daily allowances in respect of journeys performed in connection with the work of the State Authority or the High Court Legal Services Committtee as the case may be, and be paid by the said Authority or the Committee, as the case may be, in accordance with the provisions of the High Court Judge (Travelling Allowance) Rules, 1956.

(2) The Executive Chairman if a retired Judge, shall be provided with a staff car and driver by the State Authority and the expenditure on account of the pay and allowances of the staff car driver as well as the maintenance and repairs of the car shall be borne by the said Authority.

(3) The ceiling for the petrol consumption for the car provided under sub-Rule (2) shall be 100 Litres per month or actual consumption whichever is less.

(4) The Patron-in-Chief and Executive Chairman of the State legal Service Authority and Chairman, High Court, Legal Services Committee each shall be provided with telephone with S.T.D. facility with a maximum ceiling of Rs. 24,000/- per annum.

5. Terms of office of the Executive Chairman—

(A) Where Executive Chairman of the State Authority is a sitting Judge of the High Court, he shall normally hold the office for a period of three years or till this retirement whichever is earlier, but he may be considered for re-nomination after retirement.

(B) Where the Executive Chairman of the State Authority is a retired Judge of the High Court he shall normally hold the office for a period of three years, but he may be considered for re-nomination for one more term.

6 Conditions of services of the Executive Chairman in case of retired Judges of the High Court—

Where the Executive Chairman of the State Authority is a retired Judge of the High Court, during his term of office as such Executive Chairman of the State Authority :—

(i) His terms and conditions shall be such as are specified in the Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure- O. M. No. 19048/7/80-E-IV, dated 8th October, 1987 or such other relevant orders of the State Government as may be applicable to the retired Judges of the High Court appointed on Commissions/Committees.

(ii) He shall be permitted to subscribe to the G.P.F.

7. The powers and functions of the Member-Secretary of the State authority under sub-section (3) of Section 6, the powers and functions of the Member-Secretary of the State Authority inter alia, shall be—

(a) to give free legal services to the eligible and weaker sections,

(b) to work out modalities of the Legal Services Schemes and programmes approved by the State Authority and ensure their effecive monitoring and implementation,

(c) to exercise with the approval of the Executive Chairman, the powers in the respect of Administrative, Finance and Budget matters as head of the Department in the State Government.,

(d) to manage the properties, records and funds of the State Authority,

(e) to maintain true and proper accounts of the State Authority including checking and auditing in respect thereof periodically,

(f) to prepare Annual Income and Expenditure Account and Balance-Sheet of the said Authority,

(g) to liaise with the Social Action Groups and District and Taluk/Tehsil/Sub-Division Legal Services Authorities,

(h) to maintain up to date and complete statistical information including progress made in the implementation of various Legal Services Progress from time to time,

(i) to process proposals for financial assistance and issue Utilisation Certificate thereof,

(j) to organize various Legal Services Programmes as approved by the State Authority and convene meetings or seminars and workshops connected with the Legal Services Programmes and preparation of reports and follow-up action thereon,

(k) to produce or prepare video or documentary films, publicity material, literature and publications to inform general public about the various aspects of the Legal Services Programmes.

(l) to lay stress on the resolution of rural disputes and to take extra measures to draw schemes for effective and meaningful Legal Services for settling rural disputes at the door-steps of the rural people,

(m) to perform such of the functions as are assigned to him under the Schemes formulated under clause (b) of section 4 of the Act, and

(n) to perform such other functions as may be expedient for the efficient functioning of the State Authority.

8. The terms of office and other conditions relating thereto, of members and Member-Secretary of the State Authority under Sub-section (4) of Section 6—

(1) The members of the State Authority nominated under sub-rule (3) of rule 3 by the State Government shall continue for a terms of two years and shall be eligible for renomination,

(2) A member of the State Authority nominated under sub-rule (3) of rule 3 may, after consultation with the Chief Justice, be removed by the State Government at any time if, in the opinion of State Government, it is not desirable to continue him as a member,

(3) If any member nominated under sub-rule (3) of rule 3 ceases to be a member of the State Authority. for any reason, the vacancy shall be filled up in the same manner as the original nomination and the persons so nominated shall continue to be a member for the remaining period of the term of the members in whose place he is nominated,

(4) All the members nominated under sub-rule (3) of rule 3 shall be entitled to payment of travelling allowance and daily allowance in respect of journeys performed in connection with the work of the State Authority and shall be paid by the State Authority in accordance with the rules as are applicable to the 1st Grade Officers of the State, as amended from time to time,

(5) If the nominated member is a Government empolyee, he shall be entitled to only one set of travelling allowance and daily allowance either from his parent Department, or, as the case may be, from the State Authority,

(6) The Member-Secretary of the State Authority shall be a whole time employee and shall normally hold office for a term of three years on deputation basis,

(7) In all matters relating to service conditions like age of retirement, pay and allowances, benefits and entitlements and in disciplinary matters, the Member-Secretary shall be governed by the State Government rules and he shall be on deputation to the State Authority. He shall be entitled to the special pay as admissible to the deputationists belonging to that grade under the Government.

9. The number of officers and other employees of the State Authority under Sub-section (5) of Section 6—

The State Authority shall have such number of officers and other employees for rendering secretarial assistance and for its day-to-day functions as are set out in Schedule-A to these rules.

10. The conditions of service and the salary and allowances of officers and other employees of the State Authority under Sub-section (6) of Section 6—

(1) The Officers and other employees of the indicated against each post in Schedule-A to these rules,

(2) In all matters relating to service conditions like age of retirement, allowances, benefits and entitlements and in disciplinary matters, the officers and other employees of the State Authority shall be governed by such Rules as may be framed under Rule 23 of these Rules.

11. The experience and qualification of Secretary of the High Court Legal Services Committee under Sub-section (3) of Section 8-A—

A person shall not be qualified for appointment as Secretary of the High Court Legal Services Committee, unless he is an officer of the High Court not below the rank of Additional Registrar, being a member of the Chhattisgarh Higher Judicial Service,

12. The number of officers and other employees of the High Court Legal Services Committee under Sub-section (5) of Section 8-A and the conditions of service and the salary and allowance payable to them under Sub-section (6) of that Section—

(1) the High Court Legal Services Committee shall have such number of Officers and other employees for rendering secretarial assistance and for its day-to-day functions as are set out in Schedule-B to these rules,

(2) the Officers and other employees of the High Court Legal Services Committee shall be entitled to draw pay and allowances in the scale of pay indicated against each position Schedule-B to these rules, or as fixed by the Chief Justice,

(3) in all matters like age of retirement, allowances, benefits and entitlements and in disciplinary matters, the officers and other employees of the High Court Legal Services Committee shall be governed by the Service Rules as are applicable to persons holding equivalent posts in the Chhattisgarh High Court/State Government, as the case may be.

13. The number, experience and qualifications of members of the District Authority under clause (b) of Sub-section (2) of Section 9—

(1) the District Authority shall have not more than eight members,

(2) the following shall be the ex-officio members of the District Authority :—

(i) District Magistrate,
(ii) Superintendent of Police of the District,
(iii) Chief Judicial Magistrate of the District, and
(iv) District Government Pleader,

(3) the State Government may nominate, in consultation with the Chief Justice of the High Court, other members from amongst those possessing the qualifications and experience provided in sub-rule (4),

(4) a person shall not be qualified for nominations as a member of the District Authority, unless he is :—

(a) An eminent Social Worker who is engaged in the upliftment of the weaker sections of the people, including Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Women, Children and rural labourers, or
(b) An eminent person in the field of law, or
(c) A person of repute who is specially interested in the implementation of the Legal Services Schemes.

14. The number of officers and other employees of the District Authority under Sub-section (5) of Section 9—

The District Authority shall have such number of officers and other employees for rendering secretarial assistance and for its day-to-day functions as are set out in Schedule-C to these rules.

15. The conditions of service and the salary and allowances of the officers and other employees of the District Authority under Sub-section (6) of Section 9—

(1) the officers and other employees of the District Authority shall be entitled to draw pay and allowances in the scale of pay indicated against each post in Schedule-C to these rules.

(2) in all matters relating to service conditions like age of retirement, allowances, benefits and entitlements and in disciplinary matters, the officers and other employees of the District Authority shall be governed by the Service Rules as are applicable to ministerial staff of the Sub-ordinate Courts.

16. The number, experience and qualification of members of the Taluk Legal Services Committee under clause (b) of Sub-section (2) of Section 11-A—

(1) The Taluk Legal Services Committee shall have not more than five members,

(2) The following shall be the ex-officio members of the Taluk Legal Services Committee :—

(i) Sub-collector,
(ii) Sub-divisional Police Officer,
(iii) President of the Local bar Association.

(3) The State Government may nominate, in consultation with the Chief Justice of the High Court, other members from amongst those possessing the qualifications and experience provided in sub-rule (4),

(4) A person shall not be qualified for nomination as a member of the Taluk Legal Services Committee, unless he is :—

(a) an eminent Social Worker who is engaged in the upliftment of the weaker sections of the people including Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Women, Children and rural labourers, or

(b) an eminent person in the field of law, or

(c) a person of repute who is specially interested in the implementation of the Legal Services Schemes.

17. The number of officers and other employees of the Taluk Legal Service Committee under Sub-section (3) of Section 11-A—

The Taluk Legal Services Committee shall have such number of officers and other employees for rendering secretarial assistance and for its day-to-day functions as are set out in Schedule-D to these rules.

18. The conditions of service and the salary and allowances of offices and other employees of the Taluk Legal Services Committee under Sub-section (4) of Section 11-A—

(1) The officers and other employees of the Taluk Legal Services Committee shall be entitled to draw pay and allowances in the scale of pay indicated against each post in Schedule-D to these rules.

(2) in all matters relating to service conditions like age of retirement, allowances, benefits and entitlements and in disciplinary matters, the officers and other employees of the Taluk Legal Services Committee shall be governed by the Service Rules as are applicable to ministerial staff of the Subordinate Courts.

19. The upper limit of annual income of a person entitling him to legal services under clause (h) of Section 12, if the case is before a Court, other than the supreme Court—

Any Citizen of India whose annual income from all sources does not exceed Rs. 25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand only) shall be entitled to legal services under clause (h) of Section 12.

20. The experience and qualifications of other persons of Lok Adalats under Sub-section (4) of Section 19—

A person shall not be qualified to be included in the Bench of a Lok Adalat, unless he is :—

(a) an eminent social worker who is engaged in the upliftment of the weaker sections of the people including Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Women, Children, rural and urban labourers, or

(b) a lawyer of standing, or

(c) a person of repute who is specially interested in the implementation of the Legal Services Schemes and Programmes.

21. Matters on which legal services admissible—

In addition to the cases covered under Section 12 read with Section 13 of the Act, legal service may also be provided in all matters where such service shall be aimed at :—

(a) amicable settlement of the disputes by bringing about conciliation between the parties to the disputes, and

(b) rendering assistance in complying with various legal requirements in order to secure the benefits under various schemes sponsored by or on behalf of the Central Government or the Government of Chhattisgarh or any other public authoirty for the welfare of the general public or any Section thereof.

22. Modes of providing legal service—

Legal service may be given in all or any one or more of the following modes, namely :—

(a) by payment of Court fee, process fee, expenses of witnesses and paper book, lawyers fee and all other charges payable in connection with any legal proceedings,
(b) through representation by a legal practitioner in legal proceedings,
(c) by supplying certified copies of judgments, orders, notes of evidence and other documents in legal proceedings,
(d) by preparation of paper book, including printing, typing and translation of documents in legal proceedings,
(e) by drafting of legal documents, and
(f) by giving legal advice on any legal matter.

23. Headquarters and office of the State Authority—

Headquarters and office of the State Authority shall be located at Bilaspur, which is the main seat of the High Court of Chhattisgarh.

24. Removal of difficulty in respect of on going Legal Aid Programmes—

The Patron-in-Chief may authorise expenditure and approve Legal Aid Programmes in respect of cases in which Legal Aid has already been given and Legal Aid Programmes have already been planned prior to the constitution of State Legal Services Authority.

25. The manner of recruitment and appointment of Officers./Staff of—

(A) Shall be such as the Executive Chairman after consultation with the Patron-in-Chief may subject to the approval of the State Government determine.
(B) The transfer and posting of officers and staff of the Authority will be made by the Executive.

26. Repeal and Saving—

The Chhattisgarh State Legal Services Authority Rules, 1996 are hereby repeal.

Provided that anything done or any action taken under the rules so repealed shall unless such thing done or action taken is inconsistant with any of the provisions of these rules, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANURADHA KHARE, Deputy Secretary.

SCHEDULE—A
(See Rule 9)

A. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

No. (1)	Name of the post (2)	Scales of Pay (3)	No. of Posts (4)	Remarks (5)
1.	Secretary Belonging to the Chhattisgarh Higher Judicial Service in the cadre of District Judge.	Own scale of pay	01	
2.	Deputy Secretary Belonging to the Chhattisgarh Lower Judicial Service in the cadre of Judicial Magistrate.	Own scale of pay	01	
3.	Under Secretary Belonging to the Chhattisgarh Lower Judicial Service in the cadre of Civil Judge Class-1.	Own scale of pay	01	
4.	Account Officer	8000-13500	01	
5.	Private Secretary to Executive Chairman.	6500-10500	01	
6.	Legal Aid Officer	6500-10500	17	
7.	Audit-Officer	6500-10500	01	
8.	Superintendent	5500-9000	01	
9.	Personal Assistant or Stenographer to Secretary.	4500-7000	01	
10.	Assistant Auditor	4500-7000	01	
11.	Accountant	4000-6000	01	
12.	Assistant Protocol Officer	4000-6000	01	
13.	Assistant Grade-2	4000-6000	04	
14.	Assistant Grade-3	3050-4590	15	
15.	Computer Operator	3050-4590	02	
16.	Driver	3050-4590	02	
17.	Daftari	2610-3540	01	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18.	Peon	2550-3200	12	
19.	Farrash	2550-3200	01	
20.	Waterman	2550-3200	01	
21.	Watchman	2550-3200	01	
22.	Sweeper	2550-3200	01	
23.	Process Server	2550-3200	06	

SCHEDULE—B

(See Rule 11)

B. HIGH COURT LEGAL SERVICES COMMITTEE

No. (1)	Name of the post (2)	Scales of Pay (3)	No. of Posts (4)	Remarks (5)
1.	Secretary (Ex-officio) Who shall be a member of the Chhattisgarh Higher Judicial Service not below the rank of Additional Registrar of Chhattisgarh High Court be appointed by the Chief Justice of the High Court.		01	
2.	Stenographer	5000-8000	01	
3.	Accountant (trained)	4500-7000	01	
4.	Assistant Grade-2	4000-6000	01	
5.	Assistant Grade-3	3050-4590	06	
6.	Peon	2550-3200	04	
7.	Process Server	2550-3200	05	

SCHEDULE—C

(See Rule 13)

C. DISTRICT LEGAL SERVICES COMMITTEE

No. (1)	Name of the post (2)	Scales of Pay (3)	No. of Posts (4)	Remarks (5)
1.	Secretary (Ex-officio) Who shall be one of the existing officer of the Chhattisgarh Higher Judicial Service at the station shall be appointed by the State Authority in consultation with Chairman of the District Authority.		01	
2.	Assistant Grade-2	4000-6000	10	
3.	Assistant Grade-3	3050-4590	14	
4.	Process Server	2550-3200 + 75/- Additional allowance.	14	
5.	Peon	2550-3200	07	

SCHEDULE—D

(See Rule 16)

D. TALUK LEGAL SERVICES COMMITTEE

No. (1)	Name of the post (2)	Scale of Pay (3)	No. of Posts (4)	Remarks (5)
1.	Assistant Grade-3	3050-4590	31	
2.	Peon	2550-3200	31	

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.